न्यायालय, अंचल अधिकारी, चतरा।

वाद का प्रकारः— विविधवाद

वाद सं0:—02/2023—24

श्री राजु कुमार नाग, पिता—स्व0 गौरी शंकर प्रसाद,
सा0—अव्वल मुहल्ला, थाना+जिला—चतरा
..................................**प्रथम पक्ष**

बनाम

मो0 शाहिद, पिता—मो0 मुस्तफा,
सा0—शहादत चौक, थाना+जिला—चतरा।
..................................**द्वितीय पक्ष**

प्रश्नगत भूमि का विवरण

मौजा—सेहदा, थाना नं0—158, खाता नं0—06 एवं 09, कुल रकवा—13.23 ए0

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश, पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख— सहित
13.09.23 C:Ci38ued	प्रस्तुत वाद अभिलेख का संधारण अपर समाहर्त्ता, चतरा के पत्रांक—1802/रा0 दिनांक—04.11.2022 द्वारा PMOPG Portal पर आवेदक श्री राजु कुमार नाग, पिता—गौरीशंकर प्रसाद द्वारा किए गए जनआवेदन पर किया गया। आवेदक द्वारा आवेदन में मौजा—सेहदा के ऑनलाईन पंजी—2 में खाता सं0 सुधार करने हेतु अनुरोध किया गया है। उक्त के आलोक में संबंधित राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल अमीन का संयुक्त जांच प्रतिवेदन प्राप्त है, जिसमे यह उल्लेख है कि प्रश्नगत भूमि का ऑनलाईन पंजी—2 में दोहरी जमाबंदी है। अतएव उभय पक्ष को साक्ष्य प्रस्तुत कर अपना पक्ष रखने हेतु मूल राजस्व कागजात के साथ उपस्थित होने हेतु नोटिस निर्गत किया गया। उभय पक्ष न्यायालय मे उपस्थित होकर अपना—अपना कारण पृच्छा दाखिल किये एवं अपने कथन के समर्थन में कागजातों की छायाप्रति दाखिल किया। उभय पक्ष का तर्क भी सुना गया। प्रथम पक्ष ने अपने आवेदन में उल्लेख किया है कि मौजा—सेहदा, थाना सं0—158 अंतर्गत खाता सं0—06 एवं 09, कुल रकबा—13.23 ए0 भूमि निबंधित केवाला सं0—408 दिनांक—15.03.1955 को विक्रेता सत्यनारायण लाल गुप्ता से आवेदक के पिता गौरी शंकर ने क्रय किया था, जिसका अंचल कार्यालय, चतरा से दाखिल—खारिज होकर	

सरकारी रसीद निर्गत हुआ। प्रथम पक्ष के पिता अपने जीवन काल तक कृषि कार्य करते रहे हैं एवं उक्त भूमि पर वर्तमान में आवेदक का जोत–कोड़ व कब्जा है। आगे उल्लेख किया गया है कि जमीन्दारी उन्मूलन के पश्चात भूतपूर्व जमीन्दार श्री राधा गोपाल लाल वगैरह के द्वारा केस सं0–01/1954–55 के द्वारा रिर्टन दाखिल किया गया तथा रिर्टन के क्रमांक 14 में आवेदक के पिता गौरीशंकर प्रसाद का नाम दर्शाया है। मौजा–सेहदा के ऑनलाईन पंजी–2 के पृष्ठ सं0–170/2 में आवेदक के पिता के नाम से कुल रकबा–13.23 ए0 भूमि का जमाबंदी है, जिसमें खाता सं0–99 दर्ज है, जो कि खाता सं0–06 एवं 09 होना चाहिए। अंत में ऑनलाईन पंजी–2 में आवेदक के पिता के नाम से कायम जमाबंदी में खाता सं0–06 एवं 09 दर्ज करने हेतु आवेदक द्वारा अनुरोध किया गया है।

द्वितीय पक्ष का कथन है कि प्रश्नगत भूमि सर्वे खतियान में खतियानी रैयत नथुनी मियां, पिता–शेखर मियां के नाम से मौजा–सेहदा के खाता सं0–06 कुल रकबा–7.37 ए0 भूमि दर्ज है। सर्वे रैयत नथुनी मियां द्वितीय पक्ष के पूर्वज हैं, जिससे संबंधित वंशावली भी प्रस्तुत किया गया है। ऑनलाईन पंजी–2 के पृष्ठ सं0–11/2 पर नथुनी मियां के नाम से खाता सं0–06, कुल प्लॉट सं0–20 एवं कुल रकबा–7.37 ए0 की जमाबंदी कायम है। द्वितीय पक्ष द्वारा ऑनलाईन एवं ऑफलाईन खतियान व ऑनलाईन पंजी–2 की प्रति न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

प्रश्नगत भूमि के संबंध में संबंधित राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षका का जांच प्रतिवेदन में उल्लेख किया गया है कि मौजा–सेहदा, थाना सं0–158, खाता सं0–06 कुल रकबा–7.37 ए0 भूमि सर्वे खतियान में सर्वे रैयत नथुनी मियां, पिता–शेखर मियां एवं खाता सं0–09 कुल रकबा–5.86 ए0 भूमि सर्वे रैयत अर्जुन सिंह, पिता–भोनाथ सिंह के नाम से दर्ज है। ऑनलाईन पंजी–2 में प्रश्नगत भूमि से संबंधित गौरीशंकर प्रसाद के नाम से पृष्ठ सं0–170/2 एवं नथुनी मियां के नाम से पृष्ठ सं0–154/1, 11/2 एवं पर जमाबंदी कायम है। द्वितीय पक्ष के द्वारा उक्त कायम जमाबंदी के आलोक में एक भी ऑफलाईन रसीद प्रस्तुत नहीं किया गया है। परिवर्तन के प्राधिकार कॉलम में केस सं0–116/85–86 दर्ज है। जमाबंदी रैयत के वंशज से उक्त जमाबंदी कायम होने से संबंधित प्रमाण प्रस्तुत करने को कहा गया, लेकिन द्वितीय पक्ष द्वारा कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया।

संबंधित राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल अमीन द्वारा प्रश्नगत भूमि से संबंधित स्थल जांच प्रतिवेदन की मांग की गई, जिसमें उल्लेखित है कि प्रश्नगत भूमि पर प्लॉटवार जांच किया गया एवं विभिन्न ग्रामीणों

Scanned with OKEN Scanner

द्वारा यह बतलाया गया कि उक्त भूमि पर बटाई खेती कर लगभग तीन पीढी से राजु कुमार नाग एवं उसके पूर्वज को उपज देते आ रहे हैं। बटाईदारों एवं उपस्थित ग्रामीणों का हस्ताक्षर लिया गया है, जो अभिलेख में संलग्न है। उक्त से यह स्पष्ट होता है कि प्रश्नगत भूमि पर राजु कुमार नाग का दखल–कब्जा है।

उभय पक्ष के कथन, प्रस्तुत राजस्व कागजात, राजस्व उपनिरीक्षक, अंचल अमीन एवं अंचल निरीक्षक के प्रतिवेदन से यह स्पष्ट होता है कि द्वितीय पक्ष द्वारा खतियान एवं पंजी–2 में कायम जमाबंदी के आधार पर प्रश्नगत भूमि पर अपना दावा किया जा रहा है। ऑनलाईन पंजी–2 के पृष्ठ सं0–154/1 एवं पृष्ठ सं0–11/2 में खतियानी रैयत नथूनी मियां, पिता–शेखर मियां का प्रश्नगत भूमि की जमाबंदी की प्रविष्टि है। एक ही भूमि का ऑनलाईन पंजी–2 के अलग–अलग पृष्ठों पर जमाबंदी कायम होना संदेहास्पद है। साथ हीं ग्रामीणों की उपस्थिति में राजस्व उपनिरीक्षक, अंचल निरीक्षक एवं अंचल अमीन द्वारा स्थल जांच कर समर्पित प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि पर प्रथम पक्ष आवेदक का दखल–कब्जा है एवं जोत–कोड़ कर खेती बारी की जाती है।

अतएव प्रथम पक्ष के पूर्वज गौरीशंकर, पिता–श्यामलाल प्रसाद के नाम ऑनलाईन पंजी–2 के पृष्ठ सं0–170/2 में कायम जमाबंदी को यथावत रखी जाती है एवं खाता सं0 में सुधार एवं प्लॉट की प्रविष्टि करने की अनुमति दी जाती है तथा द्वितीय पक्ष के पूर्वज नथूनी मियां पिता–शेखर मियां के नाम पंजी–2 के पृष्ठ सं0 सं0–154/1 एवं पृष्ठ सं0–11/2 पर कायम जमाबंदी को स्थगित किया जाता है। राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक को आदेश निर्गत करें।

वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

(लेखापित एवं संशोधित)

887
13.09.23

13/09/23

अंचल अधिकारी
चतरा।

13/09/23

अंचल अधिकारी
चतरा।

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.07.20 20:44:49 -07:00
Location: 192.168.1.41

Scanned with OKEN Scanner